फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री दलपतसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह निवासी कांटल तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 26 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.09.2021 से 15.12.2025 तक जिला परिषद मद से ग्राम पंचायत अजारी में कुल स्वीकृत कार्य की सूची जिसमें कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण कार्यवार स्वीकृत राशि व्यय राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.09.2021 से 15.12.2025 तक जिला परिषद मद से ग्राम पंचायत अजारी में कुल स्वीकृत कार्य की सूची जिसमें कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण कार्यवार स्वीकृत राशि व्यय राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	